140

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

।।संकल्प।।

विषय: Standard Bidding Document में निहित clause of contract के Clause 1A के प्रावधान में संशोधन किये जाने के संबंध में।

1. राज्य सरकार के निर्णयानुसार पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक 9545(S) दिनांक 12.08.06 द्वारा पथ निर्माण के परियोजना हेतु Standard Bidding Document की व्यवस्था लागू है। S.B.D. में निहित clause of contract के clause 1A के अनुसार Security Deposit 8% Running Bills से काटे जाने का प्रावधान है।

2. संवेदकों द्वारा समय–समय पर माँग की जाती रही है कि Running Bill से काटे गये Security Deposit को उन्हें Bank guarantee से replace करने की छूट दी जाए। इस मामले में तर्क दिया जाता रहा है कि running bill से काटे जाने वाली Security Deposit की राशि को Defect liability से 28 दिन अधिक तक valid Bank Guarantee within State से replace करने से उनके कार्यशील पूंजी में बढ़ोत्तरी होगी एवं 10% राशि Security Deposit के रूप में जमा भी रहेगा।

3. उपर्युक्त तथ्यों पर विभागीय तकनीकी समिति द्वारा विचार किया गया एवं तदनुसार अनुशंसा सरकार के निर्णयार्थ समर्पित की गई।

4. अतः सम्यक विचारोपरान्त SBD में निहित Clause of Contract के Clause 1A को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है

"CLAUSE 1A -
Recovery of Security Deposit.

The person/persons whose tender(s) may be accepted (hereinafter called the contractor) shall permit Government at the time of making any payment to him for work done under the contract to deduct a sum at 8% (eight percent) from the gross amount of each running bill till full amount of security deposit 10% (ten percent) of agreement value or value of work (whichever is higher) is reached. If value of work exceeds the agreement value, security deposit (10%) will be recovered for the exceeded work.

All compensations or the other sums of money payable by the contractor under the terms of this contract may be deducted from, or paid by the sale of a sufficient part of his security deposit or from the interest arising there from, or from any sums which may be due to or may become due to the contractor by Government on any account whatsoever and in the event of his Security Deposit being reduced by

ज्ञापांक: प्र.6/निविदा–150/08 11172 (S) पटना, दिनांक: 8/10/09

प्रतिलिपि सभी प्रधान सचिव/ सभी सचिव, सभी विभाग/सभी कार्य विभाग/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)
सचिव

ज्ञापांक: प्र.6/निविदा–150/08 11172 (S) पटना, दिनांक: 8/10/09

प्रतिलिपि अभि० प्रमुख/ सभी मुख्य अभि०/ सभी अधी० अभि०/अभि० प्रमुख के सचिव (प्रा०)/सभी का०अभि०/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदा० को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)
सचिव

ज्ञापांक: प्र.6/निविदा–150/08 11172 (S) दिनांक 8/10/09

प्रतिलिपि माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)
सचिव

ज्ञापांक– 7/ज०1– 1021/ 08 -1182 दिनाक– 29.10.09

प्रतिलिपि–सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित) /सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मदन कुमार)
अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव

ज्ञापांक– 7/ज०1– 1021/ 08 -1182 दिनांक– 29.10.09

प्रतिलिपि–प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/निदेशक प्रांजल, बिहार राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मदन कुमार)
अभियंता प्रमुख सह विशेष सचिव

reason of any such deductions or sale as aforesaid, the contractor shall within 10 days make good in cash or fixed deposit receipt tendered by the State Bank of India or by Scheduled Banks or Government Securities (if deposited for more than 12 months) endorsed in favour of the Engineer-in-Charge, any sum or sums which may have been deducted from, or raised by sale of his security deposit or any part thereof. The security deposit shall be collected from the running bills of the contractor at the rates mentioned above and the earnest money at the time of tenders will be treated a part of the Security Deposit."

If the contractor desires to replace the Security Deposit deducted at the rate of 8% from running bills wholly or partly by a Bank Guarantee, he will make written request for the same and he will be permitted to do so with a valid Bank Guarantee of any scheduled Bank within the State, valid upto 28 days or more after the Defect liability period of the work in question. The Bank Guarantee will be verified by the concerned departmental officer before it is accepted.

5. यह सुविधा सभी कार्य विभागों को प्राप्त होगी।

6. उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

7. उक्त प्रस्ताव में वित्त / विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सरकार के सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त तथा महालेखाकार बिहार पटना को सूचना एवं जानकारी हेतु भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रत्यय अमृत)
सचिव

ज्ञापांक: प्र.6 / निविदा–150 / 08 1172 (S) पटना, दिनांक: 8/10/09

प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)
सचिव

ज्ञापांक: प्र.6 / निविदा–150 / 08 1172 (S) पटना, दिनांक: 8/10/09

प्रतिलिपि अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र की 1000 मुद्रित प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(प्रत्यय अमृत)
सचिव